

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 22/08/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर  
अपर पुलिस महानिदेशक,  
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 21.08.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01- थाना गहमर व थाना जमानिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अदद देसी तमंचा 315 बोर व 01अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस 315बोर मय 2 अदद मोटर साईकिल, 2अदद मोबाइल, व 1अदद लेपटॉप बरामद**

दिनांक 21.08.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद में विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा रात्रि मे की जा रही थी। इसी क्रम में थाना प्रभारी गहमर व थाना प्रभारी जमानिया मय टीम भदौरा तिराहे पर खड़े होकर विगत दिनों पहले चोरी की घटनाओं मे बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर ने आकर बताया कि प्राथमिक विद्यालय शेरपुर के पास कुछ अपराधी इकट्ठा हुए है जिनके पास अबैध असलहा होने कि सम्भावना है उक्त सूचना पर हम पुलिस वाले मौके पर पहुँचे कि हम पुलिस वाले शेरपुर मोड़ के पास सामने से खुद को घिरा देख बदमाश द्वारा पुलिस टीम को निशाना बनाकर जान से मारने की नीयत से देशी तमंचे से 1 राउंड फायर किया गया जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ संतुलित जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया तो एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु CHC भदौरा भेजा जा रहा है। 5 अन्य बदमाश को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा एक बदमाश रात्रि होने के कारण भागने मे सफल रहा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार /घायल अभियुक्तों का नाम व पता-**

- 1 अमन कुमार राम पुत्र मखंचू निवासी बिश्रामपुर थाना करंडा जनपद गाजीपुर उम्र 23 वर्ष । (घायल अभियुक्त)
- 2 .विशाल कुमार पुत्र अर्जुन राम उम्र 20 ग्राम सुजानीपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर(गिरफ्तार)
- 3 .उज्ज्वल तिवारी पुत्र विजय शंकर तिवारी ग्राम दशवंतपुर थाना नगसर हाट गाजीपुर उम्र (गिरफ्तार)
- 4 .सुजीत यादव पुत्र सियाराम यादव ग्राम खुदरापथारा थाना गहमर गाजीपुर(गिरफ्तार)

5 .गोलू उर्फ गौरव पुत्र राम चन्दर राम ग्राम बरहपुरथाना नंदगंज गाजीपुर उम्र 22वर्ष(गिरफ्तार)

6. टिकू कुमार पुत्र राजकुमार ग्राम कंचनपुर फुल्ली थाना दिलदारनगर गाजीपुर (गिरफ्तार)

### **बरामदगी -**

1. 02 अदद देसी तमंचा 315 बोर
2. 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
3. 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. 2 अदद मोटर साईकिल
5. 2 अदद मोबाइल
6. 1अदद लेपटॉप

1.मु0अ0सं0 179/25धारा 109(1),3(5) BNS एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गहमर जनपद गाजीपुर

### **02. थाना बहरियाबाद पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 143/2025 धारा 352,351(3),125 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को एक अदद देशी पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन के साथ किया गया गिरफ्तार ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.08.2025 को उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 143/2025 धारा 352,351(3),125 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को मुखबिर खास की सूचना पर हाजीपुर पुलिस के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के पास से एक अदद देशी पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

#### **गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता –**

श्रवण कुमार पुत्र बजरंगी राम निवासी ग्राम पलिवार थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 21 वर्ष

#### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—**

मु0अ0सं0 143/2025 धारा 352,351(3),125 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट ।

### **03 - थाना दिलदारनगर पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.08.2025 को उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह चन्देल मय हमराह के भक्सी नहर पुलिस व हद भक्सी के पास से मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त प्रेम कुमार सिंह पुत्र मायानन्द सिंह ग्राम महथीन टोला थाना आयर जिला भोजपुर (आरा बिहार) उम्र करीब 28 वर्ष के कब्जे से 01 अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 156/2025 धारा 3/25 A Act का अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

प्रेम कुमार सिंह पुत्र मायानन्द सिंह ग्राम महथीन टोला थाना आयर जिला भोजपुर (आरा बिहार) उम्र करीब 28 वर्ष

#### **बरामदगी:**

#### **4. महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से अलग हुए 05 परिवारों की कराई गई विदाई ।**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 21.08.2025 को महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केन्द्र गाजीपुर में पति-पत्नी के विवाद से सम्बन्धित कुल 19 प्रकरण को सुना गया। जिसमें काफी समय से विवादित चल रहे 05 प्रकरण में दोनों पक्षों को बैठाकर मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गिले शिकवे भुलाकर विदाई करायी गयी। 08 प्रकरण में मध्यस्थता विफल होने के कारण विधिक कार्यवाही का सुझाव देते हुए पत्रावली बंद कर दी गई एवं 04 परिवारिक विवाद में कुशलता प्रकट होने के बाद पत्रावली बंद कर दी गई। शेष परिवारिक विवाद में मध्यस्थता न होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई। इन सभी प्रकरण के निस्तारण में काउंसलर कमरुद्दीन, महिला आरक्षी संध्या, महिला आरक्षी सोनाली, महिला आरक्षी अभिलाषा, महिला आरक्षी सबिता, आरक्षी शिव शंकर यादव, महिला होमगार्ड उर्मिला गिरी आदि लोग प्रमुख थे।

#### **5. थाना कासिमाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.08.2025 को प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 249/24 धारा 137(2),87,64(1),351(3)बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त धन्नू प्रजापति पुत्र रमेश प्रजापति निवासी सुजायत थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया उम्र करीब 20 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### **गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-**

धन्नू प्रजापति पुत्र रमेश प्रजापति निवासी सुजायत थाना चितबड़ागांव जनपद बलिया उम्र करीब 20

#### **आपराधिक इतिहास-**

मु0अ0सं0 249/24 धारा 137(2),87,64(1),351(3) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कासिमाबाद

#### **6. “ऑपरेशन कन्विकशन”**

“श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के मुकदमें के अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000/- रू0 का अर्थदण्ड व अन्य 02 अभियुक्त/अभियुक्ता को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 8000 – 8000 रू0 के अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।”

दिनांक 21.08.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना जमानियां जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 96/22 धारा – 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते कुल 03 अभियुक्त/अभियुक्ता 1.राकेश कुमार पुत्र स्व0 गौरीराम निवासी मदनपुरा थाना जमानियां जनपद गाजीपुर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 304बी भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 498ए में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000/- रू0 अर्थदण्ड तथा धारा ¾ डीपी एक्ट में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रू0 जुर्माने से दण्डित किया गया। 2.अभियुक्त बेचूराम पुत्र स्व0 गौरी

राम व 3. अभियुक्ता धर्मावती देवी पत्नी स्व० गौरी राम निवासी उपरोक्त, प्रत्येक को धारा 304 बी भादवि में 07-07 वर्ष को सश्रम कारावास व धारा 498ए भादवि में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000/- रू० के अर्थदण्ड व धारा ३/४ डीपी एक्ट में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रू० जुर्माने से दण्डित किया गया।

**7. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक अदद तमंचा (पिस्टल).32 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.08.2025 को मुखबिरी सूचना के आधार पर पैरामिलीट्री सबसिडेयरी कैन्टीन बहदुर ग्राम अतरौली से अभियुक्त रजनीश सिंह उर्फ रानू पुत्र नन्हे बहादुर सिंह निवासी चौजा खास थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 अदद तमंचा (पिस्टल).32 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर बरामद होने पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 635/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -**

1. रजनीश सिंह उर्फ रानू पुत्र नन्हे बहादुर सिंह निवासी चौजा खास थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष

**बरामदगी का विवरण -**

01 अदद तमंचा (पिस्टल).32 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर

**आपराधिक इतिहास -**

मु०अ०सं० - 635/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

**8. थाना सादात पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 112/2025 धारा 137(2)/87/64(1)/115(2)/352/351(3)**

**बीएनएस व 5L/6 पाँक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस किया गया बरामद।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 21.08.2025 को उ०नि० प्रदीप कुमार थाना सादात मय हमराह द्वारा मु०अ०सं० 112/2025 धारा 137(2), 87, 64(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 5L/6 पाँक्सो एक्ट के नामित अभियुक्त सुरजीत राजभर उर्फ वीपालू पुत्र रामसमुझ उर्फ मुन्ना राजभर निवासी ग्राम मिर्जापुर भोखला थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर डहरमौआ पुलिया से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोतरी की गई।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का नाम व पता -**

1. सुरजीत राजभर उर्फ वीपालू पुत्र रामसमुझ उर्फ मुन्ना राजभर निवासी ग्राम मिर्जापुर भोखला थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष.

**आपराधिक इतिहास -**

1. मु०अ०सं० 112/2025 धारा 137(2)/87/64(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 5L/6 पाँक्सो एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सादात जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक  
गाजीपुर